

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री इन्द्रलाल

विपक्षी :- श्री गोपीलाल

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 90/17

जीसीएमएस नम्बर :- 2017/00710

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---------|--|---------------------------------------|
| | <p>दिनांक : 29.01.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब टी.आई पेश नहीं किया। अतः विपक्षीगण के जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस टी.आई सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार होना बताकर सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की खाता संख्या 15 पर दर्ज आराजी नम्बर 2785, 2814, 3318, 3342, 3343, 3344, 3350, 6010/3017 किता 8 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं खाता संख्या 16 पर दर्ज आराजी नम्बर 2781 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहे हैं परन्तु विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए यदि विपक्षीगण को रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के किसी विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। प्रकरण में दिनांक 21.06.2017 से विपक्षीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी</p> | |



हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की खाता संख्या 15 पर दर्ज आराजी नम्बर 2785, 2814, 3318, 3342, 3343, 3344, 3350, 6010/3017 किता 8 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं खाता संख्या 16 पर दर्ज आराजी नम्बर 2781 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली